राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 297/2022 — तारीख रजू : 19.07.2022 — निर्णय दिनांक 24.01.2024

उनवान:

1. गिरराज शर्मा उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री विष्णुदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बलाहीर तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली-बहरोड़ राज0

.....वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब मांढण तह0 मांढण

.......प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :- श्री राजेशसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
पैरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से ।

।। निर्णय ।।

वादी द्वारा न्यायालय मे राजस्व वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात का इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नम्बर हाल 749 रकबा 0.11 है0, 750 रकबा 0.70 है0, 751 रकबा 0.46 है0, 752 रकबा 0.44 है0, 761 रकबा 0.25 है0, 767 रकबा 0.39 है0, 768 रकबा 0.53 है0 कुल किता 7 रकबा 2.88 है0 वाके ग्राम बलाहीर तह0 नीमराना मे स्थित है जिसके संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 545, 538 थे। मिन वादी के पिता श्री विष्णुदत्त शर्मा पुत्रबवारीलाल ने उक्त साबिक खसरा नम्बर 545, 538 के 1/2 हिस्सा जरिये रजि0 बयनामा के खरीद किया था। जब बयनामा लिखवाया उसमे मिन वादी के पिता का गांव मे बोलता नाम किशनलाल पुत्र बनवारीलाल लिखवा दिया गया और उस बयनामा के आधार पर ही उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे मिन वादी के पिता का नाम किशनलाल पुत्र बनवारीलाल दर्ज हो गया। जो नाम लगातार रिपीट होता चला आ रहा है। जबकि मिन वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम विष्णूदत्त शर्मा पुत्र बनवारीलाल है। मिन वादी के पिता को गांव मे किशनलाल के नाम से भी जानते है इसलिए किशनलाल व विष्णूदत्त शर्मा मेरे पिताजी के ही दो नाम है। इन नामो के अलग-अलग व्यक्ति नही है। मिन वादी के पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी विष्णुदत्त शर्मा के नाम से बनाया गया है तथा मिन वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड,वोटर पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेजात मे विष्णुदत्त शर्मा ही दर्ज है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान मे मिन वादी के पिताजी का नाम किशनलाल पुत्र बनवारीलाल दर्ज होने से उनकी विरासत का इंतकाल दर्ज होने मे भी कानूनी अडचन आ रही है। मिन वादी के पिता द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा मे अपने गलत नाम को दुरूस्त करवाने बाबत एक राजस्व वाद पुर्व मे सहायक कलक्टर बहरोड के समक्ष पेश किया गया था जो दावा पूर्ण सुनवाई के बाद दिनांक 27.10.2007 का डिक्री कर दिया था। लेकिन उस निर्णय की पालना रिकार्ड मे नही होने के कारण रिकार्ड मे मिन वादी के पिता का गलत नाम ही चलता रहा अब मिन वादी के पिताजी की मृत्यु होने पर मै, पटवारी हल्का के पास अपने पिताजी की विरासत का इंतकाल खुलवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र पटवारी हल्का को दिया तब पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर आपके पिताजी का नाम किशनलाल पुत्र बनवारी दर्ज है तथा 1/2 हिस्से पर सही नाम दर्ज है। इसलिए आपके पिताजी के गलत नाम को शुद्ध करवाने पर ही पूरे हिस्से की विरासत का इंतकाल खुल सकता है। इसलिए न्याय हित

मे आराजी मुतनाजा मे जहां पर मिन वादी के पिता का नाम किशनलाल पुत्र बनवारीलाल दर्ज है उसे मिन वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, एवं सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एवं मिन वादी के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर विष्णुदत्त शर्मा पुत्र बनवारीलाल दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जाने की प्रार्थना की गई।

बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादी की ओर से पेशीकार सरकार न्यायालय मे उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र को डिक्री किया जाने मे राजहित निहित नही होने का कथन करते हुए जवाब दावा पेश किया गया ।

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श सं0 1 से 11 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 गिरराज शर्मा वादी का बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुऐ तर्क दिये कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पुर्ण रूप से साबित है। इसलिए वादी का वाद डिक्री फरमाया जाने योग्य है।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद साबित नही होने के कारण न्यायालय की राय के मुताबिक वादी का वाद खारिज होने योग्य प्रतीत होता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

24-01-2024

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]।
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
297 / 2022	19.07.2022	24.01.2024

उनवान:

1. गिरराज शर्मा उम 45 वर्ष पुत्र श्री विष्णदत्त शर्मा जाति ब्राहम्ण निवी ग्राम बलाहीर तहसील नीमराना नई तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

बनाम ....वादी

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब मांढण तह0 मांढण

......प्रतिवादी

दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :– श्री राजेशसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
पैरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से ।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी सावित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

24-01-2024

पंकज बड़गूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)